इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 89] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 4 मार्च 2011—फाल्गुन 13, शक 1932

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 4 मार्च 2011

क्र. 6190-वि. स.-विधान-2011.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 4 सन् 2011) जो विधान सभा में दिनांक 4 मार्च, 2011 को पुर:स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

डॉ. ए. के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ४ सन् २०११

मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, २०११

मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी अधिनियम, १९७२ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी (संशोधन) अधिनियम, २०११ है.

धारा १३ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी अधिनियम, १९७२ (क्रमांक २४ सन् १९७३) की धारा १३ की उपधारा (२) में विद्यमान परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"परन्तु यदि मण्डी समिति की अवधि का अवसान हो जाने पर नई मण्डी समिति का गठन नहीं किया जाता है तो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, मण्डी समिति की अवधि में, ऐसा अवसान होने की तारीख से, ऐसी वृद्धि के कारणों को लेखबद्ध करते हुए, छह मास की कालावधि के लिये दो बार अर्थात् अधिकतम एक वर्ष की कालावधि के लिये वृद्धि कर सकेगी और यदि इस बढ़ाई गई अवधि के भीतर नई मण्डी समिति का गठन नहीं किया जाता है तो यह समझा जाएगा कि वह विघटित हो गई है और ऐसी दशा में धारा ५७ के उपबंध लागू होंगे.".

निरसन तथा व्यावृत्ति.

३. (१) मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, २०११ (क्रमांक १ सन् २०११) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई समझी जाएगी.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मण्डी समितियों की मतदाता सूची में नये सदस्यों के नाम जोड़े जाना है जो कि समय लगने वाला कार्य है इसलिये पुनरीक्षित मतदाता सूचियों के तैयार न होने के कारण मण्डी समितियों के निर्वाचन नहीं हुए थे. इस व्यावहारिक कठिनाई को देखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी अधिनियम, १९७२ (क्रमांक २४ सन् १९७३) में यथोचित् संशोधन करके राज्य में मण्डी समितियों की अवधि और छह मास बढ़ाई जाए.

२. चूंकि मामला अत्यावश्यक था और राज्य विधान सभा का सत्र चालू नहीं था, अतएव मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, २०११ (क्रमांक १ सन् २०११) इस प्रयोजन के लिये प्रख्यापित किया गया था. अब यह प्रस्तावित है कि उक्त अध्यादेश के स्थान पर राज्य विधान मण्डल का अधिनियम बिना किसी उपांतरण के लाया जाए.

३. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख : २४ फरवरी, २०११.

डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया
भारसाधक सदस्य.

अध्यादेश के संबंध में विवरण

मण्डी समितियों की मतदाता सूची में नये सदस्यों के नाम जोड़े जाना है जो कि समय लगने वाला कार्य है इसलिये पुनरीक्षित मतदाता सूचियों के तैयार न होने के कारण मण्डी समितियों के निर्वाचन नहीं हुए थे. इस व्यावहारिक कठिनाई को देखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी अधिनियम, १९७२ (क्रमांक २४ सन् १९७३) में यथोचित् संशोधन करके राज्य में मण्डी समितियों की अवधि और छह मास बढ़ाई जाए. चूंकि मामला अत्यावश्यक था और राज्य विधान सभा का सत्र चालू नहीं था, अतएव मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, २०११ (क्रमांक १ सन् २०११) इस प्रयोजन के लिये प्रख्यापित किया गया था.

डॉ. ए. के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.

इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 90] भोपाल, सोमवार, दिनांक 7 मार्च 2011—फाल्गुन 16, शक 1932

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 7 मार्च 2011

क्र. 1522-80-इक्कीस-अ. (प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 4 सन् 2011) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH BILL

No. 4 OF 2011

THE MADHYA PRADESH KRISHI UPAJ MANDI (SANSHODHAN) VIDHEYAK, 2011.

A Bill further to amend the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-second year of the Republic of India as follows :—

Short title. 1.This Act may be called the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi (Sanshodhan) Adhiniyam, 2011.

Amendment of Section 13. 2. In sub-section (2) of Section 13 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), for the existing proviso, the following proviso shall be substituted, namely :—

"Provided that if on the expiry of the term of market committee, a new market committee is not constituted, the State Government may, by notification, extend the term of the market committee for a period of six months twice, that is for a maximum period of one year from the date of expiry, with reasons for such extension being placed on record, and if the new market committee is not constituted within this extended term, it shall be deemed to have been dissolved and in such an event the provisions of Section 57 shall apply.".

Repeal and saving. 3. (1) The Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi (Sanshodhan) Adhyadesh, 2011 (No. 1 of 2011) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding the repeal of the said Ordinance, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provision of this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

As new members have to be added in the voter list of market committees, which is time consuming task, therefore, elections to market committees were not held due to non-preparation of revised voter lists. Looking to this practical difficulty, it has become necessary to extend the term of market committees in the State by further six months by suitable amendment in the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973).

2. As the matter was urgent and the State Legislature Assembly was not in session, therefore, the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi (Sanshodhan) Adhyadesh, 2011 (No. 1 2011) was promulgated for the purpose. It is now proposed to replace the said Ordinance by an Act of State Legislature without any modification.

3. Hence this Bill.

Bhopal :
Dated the 24th February, 2011

Dr. RAMKRISHNA KUSMARIYA,
Member-In-Charge.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.